दिनांक 07.08.2018 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में 5.00 बजे अपराह्न से योजना के नोडल पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही :—

उपस्थित— संचिका में संधारित।

1. <u>वर्षापातः—</u> समीक्षा क्रम में पाया गया कि राज्य के 16 जिलों यथा—वैशाली, पटना, नालन्दा, अरवल, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, एवं कटिहार में औसत वर्षापात सामान्य से कम हुआ है। शेष 22 जिलों में औसत वर्षापात्त सामान्य हुआ है। निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार वर्षापात प्रतिवेदन प्रतिदिन 10.00 बजे पूर्वाहन् तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाय।

(अनु0—उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी)

2. <u>आच्छादनः—</u> समीक्षा क्रम में पाया गया कि मक्का का आच्छादन सभी जिलों में सामान्य है। धान का आच्छादन 9 जिलों यथा जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, शेखपुरा लखीसराय, बांका, बेगूसराय एवं नालन्दा में 50 प्रतिशत से कम हुआ है। निदेश दिया गया कि इन जिलों मे कृषकों से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र शतप्रतिशत धान का आच्छादन सुनिश्चित करवाने हेतु कार्रवाई की जाय।

(अनु0—उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी)

3. <u>डीजल अनुदानः—</u> डीजल अनुदान मद में अभी तक राज्य में कुल 17615 किसानों को 154.75 लाख रू0 वितरित किया गया है। निदेश दिया गया कि कम वर्षापात वाले जिलों में डीजल अनुदान वितरण पर बल दिया जाय तथा कृषकों से आवेदन प्राप्त कर ज्यादा से ज्यादा कृषको को लाभान्वित करवाया जाय।

(अनु0—उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी)

4. <u>आकस्मिक फसल योजनाः—</u> बाढ़/सुखाड़/प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक फसल योजना अन्तगर्त बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कम वर्षापात वाले जिलों में अरहर एवं मक्का का बीज भेजा गया है। उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा गया जिला में आकस्मिक फसल योजना के तहत बीज की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी दी गयी कि इस जिला में आकस्मिक फसल योजना के तहत् मक्का का 200 क्वीं0 एवं अरहर का 600 क्वीं0 बीज भेजा गया है। राज्य स्तर से निदेश दिये जाने के बाद जिले में बीज का वितरण किया जाएगा।
5. <u>राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रः—</u> संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र द्वारा बताया गया कि राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र हेतु वित्तिय वर्ष 2018-19 में दो योजनाओं की स्वीकृति होनी है। सभी प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन के लिए 1829.62 लाख रू0 एवं 22 प्रक्षेत्रों में आधारभूत संरचना के

निर्माण हेतु 2170.38 लाख रू0 की योजना स्थायी वित्त समिति से अनुमोदित हो गया है। राज्यादेश प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

6. **कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की योजनाः–** उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 1 % ब्याज अनुदान हेतु 5.00 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृत की जा रही है। नाबार्ड के साथ कृषि विभाग का एम0ओ0यू0 हो गया है। स्वीकृति आदेश निर्गत करने हेतु संचिका उपस्थापित की गई है। ज्ञातव्य हो कि कृषि ऋण व्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 1 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान है।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–28/18– 4283 पटना, दिनांक :–09-8-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/अपर निदेशक (शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/ निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/विशेष सचिव, कृषि के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–28/18– 4283 पटना, दिनांक :–09-8-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08.08.18
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।